म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/3017 भोपाल, दिनांक 22/01/2018

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
म0प्र0 (समस्त)

विषयः–अनुज्ञापत्र/आनलाइन अनुज्ञा पत्र संशोधन करने के संबंध मे।

मण्डी समितियो में अनुज्ञप्तिधारी कृत्यकारियो द्वारा अधिसूचित कृषि उपजों के वाणिज्यिक संव्यवहार के अन्तर्गत, निर्धारित मापदण्ड की कृषि उपज के निष्पादित सौदों मे, विक्रित/प्रदाय की गई कृषि उपज की गुणवत्ता मे अंतर आने के परिणाम स्वरूप, व्यापारिक सौदे निरस्त होने के प्रकरणो में प्राथमिक वाणिज्यिक विक्रेता को कृषि उपज वापिस प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रो को निरस्त करने एवं प्रश्नाधीन टैक्स पेड कृषि उपज के आगामी विक्रय पर मण्डी फीस से छूट का लाभ यथावत प्राप्त होने तथा आनलाइन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की प्रक्रिया के संबंध मे मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/1946–47 दिनांक 15.12.2017 से मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये है।

2/ वाणिज्यिक संव्यवहार के अन्तर्गत निष्पादित सौदो के निरस्त होने पर निर्यातक विक्रेता के द्वारा ऐसी कृषि उपज को वापस प्राप्त नही करने एवं आयातक मण्डी क्षेत्र के ही अन्य अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को प्रश्नाधीन निरस्त हुई कृषि उपज विक्रय करने पर अनुज्ञापत्र मे संशोधन की प्रक्रिया विहित करने की मांग विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनो के द्वारा की गई है।

अतः ऐसे प्रकरणो मे निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :–

1/ जिस मण्डी क्षेत्र मे वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत अनुज्ञापत्र के माध्यम से कृषि उपज का आयात हुआ है एवं सौदा निरस्त हुआ है, उस मण्डी क्षेत्र के मण्डी सचिव को, निर्यातक विक्रेता के द्वारा, आयातक अनुज्ञप्तिधारक कृत्यकारी/क्रेता फर्म/कंपनी के लेटरहेड पर प्रश्नाधीन कृषि उपज को रिजेक्ट करने के संबंध मे जारी रिजेक्शन नोट, बिल बिल्टी, अनुज्ञापत्र की होलोग्राम युक्त मूल प्रति/वाहन प्रति के साथ आयातक मण्डी क्षेत्र के अन्य क्रेता अनुज्ञप्तिधारी से प्रश्नाधीन रिजेक्ट कृषि उपज के विक्रय हेतु निष्पादित सौदे के अभिलेख सहित एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2/ आयातक मण्डी क्षेत्र के मण्डी सचिव के द्वारा प्रश्नाधीन स्कंध का भौतिक सत्यापन व अभिलेखो का परीक्षण कराया जाकर, निर्यातक विक्रेता के आवेदन के साथ रिजेक्शन नोट, बिल एवं अनुज्ञापत्र की मूल प्रति/वाहन प्रति एवं नवीन क्रेता के साथ निष्पादित सौदे के अभिलेखो सहित सम्पूर्ण प्रकरण अनुज्ञापत्र जारीकर्ता मण्डी के सचिव को अनुशंसा सहित भौतिक एवं ऑनलाइन प्रेषण व साथ ही संबंधित दोनो मंडी क्षेत्रो के आंचलिक अधिकारियो को ऑनलाइन पृष्ठाकंन किया जायेगा।

3/ अनुज्ञापत्र जारीकर्ता मंडी सचिव प्रकरण मे प्राप्त अभिलेखो का परीक्षण कर, समस्त कार्यवाही विधिमान्य पाये जाने की स्थिति मे, निर्यातक, विकेता फर्म से प्रारूप–दस मे संशोधित घोषणा एवं संशोधित बिल की प्रति प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन अनुज्ञापत्र में उल्लेखित पूर्व केता फर्म के नाम को हटाकर, संशोधित कर नवीन केता फर्म का नाम अंकित करने की कार्यवाही हेतु संबंधित आंचलिक संयुक्त/उपसंचालक से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त की जायेगी। तदोपरांत संशोधित अनुज्ञापत्र निर्यातक मण्डी द्वारा भौतिक रूप से जारी किया जायेगा।

4/ प्रश्नाधीन प्रकरणो मे, अधिसूचित कृषि उपज के नवीन/संशोधित केता के स्टॉक मे भौतिक सत्यापन के साथ ही विकेता एवं नवीन संशोधित केता की स्टॉक पंजी मे संशोधित वाणिज्यिक संव्यवहार कार्यवाही दर्ज होने के उपरान्त/संबंधित पक्ष की पाक्षिक विवरणी प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित मण्डी सचिव की संसूचना पर, आंचलिक अधिकारी के अनुमति पत्र से ऐसे अनुज्ञापत्र संशोधन को ई–अनुज्ञा प्रणाली पोर्टल पर दर्ज कराये जाने हेतु पर चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) मण्डी बोर्ड व संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर म0प्र0, भोपाल, के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तत्समय आवश्यक संशोधन कार्यवाही की जायेगी।

5/ इस प्रकार के प्रकरणो को पृथक रूप से संधारित पंजी मे इन्द्राज किया जायेगा। उपरोक्तानुसार संशोधित किये गये अनुज्ञापत्रो का मण्डीवार संकलन कर एकजाई गोषवारा आंचलिक अधिकारियो के द्वारा आंचलिक समीक्षा बैठक मे प्राप्त कर संधारित किया जाये, जिसकी मुख्यालय स्तर पर मासिक बैठक मे समीक्षा की जायेगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही का परीक्षण संबंधित आंचलिक अधिकारी द्वारा समय समय पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यवाही में मण्डी फीस अपवंचन अथवा दुरूपयोग होने की दशा मे संबंधित मण्डी सचिव एवं पर्यवेक्षण अधिकारी उत्तरदायी होगे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/अनुज्ञा पत्र/521/3018 भोपाल, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
(2) अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। (समस्त)
(3) संचालक तकनीकी, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (NIC) म0प्र0, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) चीफ प्रोग्रामर (एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।
(5) गार्ड फाइल/नियमन/विधि/वित्त/प्रांगण/स्टोर शाखा।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल